संख्या-331/2026/1132/22-2-2025-17(936)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 02 अप्रैल, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पुष्कर पाण्डेय पुत्र श्री धर्मराज, निवासी जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी पुष्कर पाण्डेय पुत्र श्री धर्मराज (दिनांक 26.12.2024 तक बन्दी की आयु लगभग 57 वर्ष 07 माह 12 दिन) ग्राम-अमानी रामपुर, थाना-रामपुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनाक 24.05.1994 को पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल के लिये वाद-विवाद होने के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 138/1994, धारा-302, 307, 323/34, 342/34 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनाक 01.02.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनाक 27.02.2002 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.09.2009 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनाक 26.12.2024 तक अपरिहार 13 वर्ष, 28 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 11 माह 08 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित व व्यक्ति विशेष तक होने किन्तु भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनाक 26.12.2024 तक बन्दी की 57 वर्ष की आयु एवं मा० सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनाक 26.12.2024 तक अपरिहार 13 वर्ष, 28 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल सदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पुष्कर पाण्डेय (बन्दी संख्या-29/2020) पुत्र श्री धर्मराज, निवासी जनपद-जौनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-331/2026/1132 (1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।